

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक २६-१२-१७

रिपोर्ट पटवारी हल्का सिंगरिया द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 1.11.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का सिंगरिया द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल निन्दराम पुत्र रामनिंद कौम श्री निवासी सिंगरिया तहसील राजाखेडा ने आराजी ख० न० 5328 किस्म श्री रकबा 0.06 बांके ग्राम सिंगरिया पर आपराध की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 1.20 की 50 गुनी से शास्ति राशि 60 रुपये आरोपित की जाती है। भू० अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी० आ० ए० को माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

60
42
11
TRA
राजाखेडा

तहसीलदार
राजाखेडा